	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 05, मंगलवार, *शाके* 1941–नवम्बर 26, 2019 *Agrahayana 05, Tuesday, Saka 1941–November 26, 2019*	

भाग-1(क)

नियुक्तियों छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां ।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 22, 2019

संख्या एफ 14(1)(1)श्रम/67/पार्ट-3 :-कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम सं.-8) (कर्मकार प्रति कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथा संशोधित) की धारा-20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 29.7.2010, जो राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक भाग 1 (क) दिनांक 17.8.2010 में प्रकाशित हुई है, की निरन्तरता में राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी को उनके समक्ष अंकित क्षैत्र के लिए एतद्द्वारा आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियुक्त करती हैः-

क्रं सं.	**अधिकारी का नाम**	**पद**	**जिला/क्षेत्र जिसके लिए नियुक्त किया जाता है**
1	**श्री गजेन्द्र सिंह**	**श्रम कल्याण अधिकारी**	**पद स्थापन के जिले का कार्यक्षेत्र**

राज्यपाल के आदेश से,
सी0 बी0 एस0राठौड,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं,
पदेन संयुक्त शासन सचिव ,
राजस्थान, जयपुर।

Government Central Press, Jaipur.